### FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

# Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act,1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from (22) CHURU Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

# Sh. RAJENDRA RATHORE

(Name)

A-5, SAINIK BASTI, CHURU (RAJ.) PIN-331001

(Address)

sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised/registerd political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Churu Date 11-12-2018

(Shweta Kochar) Returning Officer 22-CHURU

(Shweta Kochar) Returning Officer Assembly Constituency (022) (SDM) Churu

#### प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

## (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब्सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लंडा गया हो ) )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

युर-22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य )की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता / करती हूँ कि

श्री राजेन्द्र राठौड

(नाम)

ए- 5, सैनिक बस्ती, चूरू(राज ०) पिन-331001

(पता)

[जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम ) उपयुक्त निर्वाचन -क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : चूरू दिनांक : 11-12-2018

रिटर्निंग अधिकारी 22-चुरू

('Shweta Kochar) Returning Officer **Assembly Constituency (022)** (SDM) Churu